This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 25 सितम्बर, 2013 / 3 आश्विन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएें एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

तारीख 24 सितम्बर, 2013

संख्याः विद्युत–छः (5)–18 / 2011.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज़ ग्रीनको हाटकोटी एनर्जी प्राईवेट लिमिटिड, प्लॉट नम्बर 1071, रोड़ नम्बर 44, जुबली हिलज़,

हैदराबाद–500033, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है, को अब निम्नलिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यह अधिसूचना ऐसे व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा–48 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2011 तथा 06 अक्तूबर, 2012 जो कि क्रमशः भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा–4 तथा 6 व 7 के अन्तर्गत मुहाल शेखल, क्यारकू, उकली व बखीरना, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में पौड़ीताल–लासा (24 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए जारी की गई थी में से निम्न विवरणी में विर्निदिष्ट भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही से सहर्ष वापिस लेते हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	रोहड़ू	बखीरना	155	00–13–42
			164	00–05–41
			162	00–14–62
			163	00–17–96
			कित्ता– 4	**कुल रकवा– 00–51–41**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (विद्युत)।

————————

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2013

No. HHC/Rules/Vol.V./97-I.—In exercise of the powers vested in it under Section 23 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970, Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 as amended from time to time, Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling hereunto, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in **"The High Court of Himachal Pradesh (Original Side) Rules, 1997"**:—

1. These Rules shall be called the High Court of Himachal Pradesh (Original Side) **(Eighth Amendment)** Rules, 2013.

2. These Rules shall come into force with immediate effect. Rule **16** of the Rules known as **High Court of Himachal Pradesh Original Side Rules, 1997** under Part C, "Civil Writs" shall stand deleted, consequently, schedule/form(s) appended to the Rules supra shall also stand deleted.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT
REGISTRAR GENERAL.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2013

No. HHC/Admn. 3(137)79-I.—14 days commuted leave on and *w.e.f.* 27-4-2013 to 10-5-2013 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 11th and 12th May, 2013 and 53 days commuted leave on and *w.e.f.* 17-6-2013 to 8-8-2013 with permission to prefix Sunday falling on 16-6-2013 and suffix gazette holiday, second Saturday and Sunday falling on 9th, 10th and 11th August, 2013, respectively**,** is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh. Jawahar Singh Thakur, Court Master, of this Registry.

Certified that Sh. Jawahar Singh Thakur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Jawahar Singh Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th September, 2013

No. HHC/Admn. 6(24)74-VII.—In exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Court Act, 1976 (Act No.23 of 1976), the Hon'ble High Court is pleased to confer the powers of Civil-Judge (Junior Division) upon the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Karsog to be exercised by him within the local limits of Ani Sub Division of Civil & Sessions Division, Kinnaur with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th September, 2013

No. HHC/Admn.28(8)/74-XII.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh hereby orders that the Civil -Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Karsog shall hold the Circuit Court at Ani for one week every month with immediate effect till an officer is appointed at Ani on regular basis.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 23rd September, 2013

No. HHC/15-33/Jus/Acctts/2006.— It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Surinder Singh Thakur, Judge, has relinquished the charge of the office of Judge, High Court of Himachal Pradesh, in the forenoon of 23rd September 2013, on attaining the age of superannuation.

By order,
(A. C. DOGRA)
Registrar General.

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 04 जनवरी, 2013

संख्याः एएचवाई–ए(3)–24/2010.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में **अधीक्षक ग्रेड–I, वर्ग–I,** (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, अधीक्षक ग्रेड–I, वर्ग–I, (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ए. एचवाई.–बी(2)–2/82–II, तारीख 16–2–1996/27–2–1996 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, अधीक्षक ग्रेड–I, वर्ग–II, (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती एवं पदोन्नति नियमों, 1996 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप–नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
अति0 मुख्य सचिव (पशुपालन)।

————————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में अधीक्षक ग्रेड–I, (वर्ग–I, राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——अधीक्षक ग्रेड–I.

2. **पद (पदों) की संख्या.**——7 (सात)।

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–I, (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)।

4. **वेतनमान.**——पे बैंड 15600–39100/–रूपए + 5400/–रूपए ग्रेड पे ।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**——अचयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——लागू नहीं।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——शैक्षिक अर्हता(एं)**ः लागू नहीं।

वांछनीय अर्हता(एं).——लागू नहीं ।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.**——आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं).——लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**——दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा,जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.**——शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.**——अधीक्षक ग्रेड–II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो,

ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड–II से प्रोन्नति द्वारा, जिनका नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या अधीक्षक ग्रेड–II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्ततः की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, नौ वर्ष का नियमित सेवा काल हो, जिसमें अधीक्षक ग्रेड–II के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी।

(क) 1. परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक ए(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–I.––उपर्युक्त परन्तुक {ए(I)}के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण–II.––उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें :–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी तथा भरमौर का उपमण्डल ।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किनौर ।
8. सिरमौर जिले में उप तहसील कमरउ के काठबाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त एवं शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत्त ।
9. जिला मण्डी की करसोग तहसील का खनयोल–बागडा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप–तहसील के गाडा गुसैनी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खुलानाला, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, शिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरड़ और भटेढ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बागडा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त एवं सुन्दरनगर तहसील का वटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(ख) (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.——अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**——जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**—— जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**——लागू नहीं।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**——लागू नहीं ।

16. **आरक्षण.**——सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**——सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[*Authoritative English text of this department Notification No. Ahy-A(3)-24 /2010 dated 04-01-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India*].

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th January, 2013

No. Ahy-A(3)-24/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Superintendent Grade-I, Class-I** (Gazetted) (Ministerial Services), in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Superintendent Grade-I, Class-I, (Gazetted) (Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date ofpublication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Repeal & Savings.**—(1) The Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Superintendent Grade-I, (Class-II) Gazetted, Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules 1996 notified vide this Department Notification No. AHYB(2)-2/02-II dated 16.2.1996/ 27.2.1996 and amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action under the relevant Rules so repealed under sub-rule -2 (1) supra shall deemed to have been validly made, done to be taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (AH).

ANNEXURE -"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-I GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.**—Superintendent Grade-I.

2. **Number of post(s).**—7 (Seven).

3. **Classification.**—Class-I (GAZETTED) (Ministerial Services).

4. **Scale of Pay.**—Pay Band ₹ 15600-39100/- + ₹ 5400/-Grade Pay.

5. **Whether Selection or Non- Selection post.**—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Educational Qualification(s).—Not applicable

(b) Desirable Qualification(s).—Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s).— Age : Not applicable.

Educational Qualification(s).—Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst Superintendents Grade-II with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst Superintendents Grade-II who possess nine years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II & Senior Assistant combined which shall also include two years' essential service as Superintendent Grade-II.

A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/ Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation–I.—For the purpose of proviso A (I) supra the "term" in Tribal/ Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur,Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallapar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

B (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanations.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Department Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules,1997 as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 23rd September, 2013

No. TSM-A(4)-2/2013.—In the second line of second para of this Department's notification of even number dated 30th August, 2013, the name "Vijender Karan" may be read as "Vijay Inder Karan".

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Tourism & CA).

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTICE

Dharamshala, the 13th September, 2013

No. 767-71/L.B.—Shri Suresh Kumar, Advocate s/o Shri Sita Ram, Village Upper Thahru and Post Office Kosri, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Jaisinghpur. Before recommending the case of the applicant

to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-10-2013.

Sd/-
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTICE

Dharamshala, the 17th September, 2013

No. 779-83/L.B.—Smt. Sangeeta Rattan, Advocate d/o Shri Jagdeep Sharma w/o Shri Vinay Rattan, Garg Colony Birta, Post Office Gurkari, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-10-2013.

Sd/-
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTICE

Dharamshala, the 17th September, 2013

No. 787-91/L.B.—Smt. Bharti Kalia, Advocate d/o Shri Inder Jeet, Village Barol and Post Office Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Dharamshala. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-10-2013.

Sd/-
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर : 19/T/2013/Misc. तारीख पेशी : 22–10–2013

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव लाहडू, डा० व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव लाहडू, डा० व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल लाहडू, डा० व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में विजय कुमार दर्ज है, जबकि स्कूल प्रमाण–पत्र व ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में मेरा नाम प्रदीप कुमार दर्ज है। वास्तव में भिन्न–भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल लाहडू में मेरा नाम विजय कुमार उपनाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री हरि सिंह दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–10–2013 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रदीप कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी गांव लाहडू, डा० व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल लाहडू में विजय कुमार के बजाए विजय कुमार उपनाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री हरि सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर : 18/T/2013/Misc. तारीख पेशी : 22–10–2013

श्री जगो राम पुत्र श्री खड़कू राम, निवासी गांव पुखरू, डा० लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री जगो राम पुत्र श्री खड़कू राम, निवासी गांव पुखरू, डा0 लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल पुखरू, डा0 लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में जगू राम दर्ज है, जबकि मतदाता पहचान–पत्र व ग्राम पंचायत पुखरू के अभिलेख में मेरा नाम जगो राम दर्ज है। वास्तव में भिन्न–भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल पुखरू में मेरा नाम जगू राम उपनाम जगो राम पुत्र श्री खड़कू राम दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–10–2013 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेरे समायत न होगा तथा जगो राम पुत्र श्री खड़कू राम, निवासी गांव पुखरू, डा0 लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल पुखरू में जगू राम के बजाए जगू राम उपनाम जगो राम पुत्र श्री खड़कू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री डुमणू राम पुत्र श्री बुधे राम, निवासी गांव लोट, डा0 वालू उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री डुमणू राम पुत्र श्री बुधे राम, निवासी गांव लोट, डा0 वालू, उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसकी पुत्री आदिती का जन्म दिनांक 7–3–2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कथयारी, उप–तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15–10–2013 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्री डुमणू राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 13–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
नायब तहसीलदार,
उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती जुलेखा पुत्री श्री हसनद्दीन, गांव व डा0 नगवाई, उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती जुलेखा पुत्री श्री हसनद्दीन, गांव नगवाई, डा0 नगवाई, उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री सानिया रोजा का जन्म दिनांक 27–9–2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगवाई, उप–तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15–10–2013 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्रीमती जुलेखा पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 13–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
नायब तहसीलदार,
उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री सीता राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 11/2013 तारीख मरजुआ 17–9–2013 तारीख पेशी : 24–10–2013

ब मुकद्दमा :

श्री गीजू राम पुत्र श्री चमारू, निवासी गांव गाहरा, तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री गीजू राम पुत्र श्री चमारू, निवासी गांव गाहरा, तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गीजू राम है जो महाल गाहरा में गीजू गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल गाहरा में दरुस्ती करवाना चाहता है जिसे राजस्व अभिलेख महाल गाहरा में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल गाहरा में गीजू के स्थान पर गीजू राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24—10—2013 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17—9—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सीता राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती   तारीख पेशी : 7—10—2013

श्री संदीप ठाकुर पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी बल्ह, डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

श्री संदीप कुमार ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि महाल बल्ह, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम प्रेमा लिखा गया है जो कि गलत है मेरे पिता का वास्तविक नाम प्रेम चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 7—10—2013 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 12—9—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Malkiyat Singh, Executive Magistrate (NaibTehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
25/2013	9-9-2013	Pending for 15-10-2013

Smt. Asha w/o Shri Kishor Kumar, r/o Village & P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General public . . *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Asha w/o Shri Kishor Kumar, r/o Village & P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that her two sons namely Lokesh Kumar and Tarun Tanwar were born on 8-7-1989 and 4-7-1991 respectively at Village Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Taksal.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Lokesh Kumar and Tarun Tanwar sons of applicant may submit their objections in writing in this court on or before 15-10-2013 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 9th day of September, 2013.

Seal. MALKIYAT SINGH,
Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Malkiyat Singh, Executive Magistrate (NaibTehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
24/2013	9-9-2013	Pending for 15-10-2013

Shri Raghubir Singh s/o Shri Gyasu Ram, r/o Village & P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General public . . *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Raghubir Singh s/o Shri Gyasu Ram, r/o Village & P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section

13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents stating therein that his daughter namely Kumari Bhawana Kashyap and son namely Vishal Kashyap were born on 28-4-1990 and 15-9-1995 respectively at Village Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Taksal.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Kumari Bhawana Kashyap daughter and son namely Vishal Kashyap may submit their objections in writing in this court on or before 15-10-2013 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 9th day of September, 2013.

Seal. MALKIYAT SINGH,
Executive Magistrate (Naib Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Vikas Sharma s/o Shri Chander Dutt Sharma, r/o Village Pakneta, P.O. Basal, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General public . . *Respondent.*

Whereas applicant Shri Vikas Sharma s/o Shri Chander Dutt Sharma, r/o Village Pakneta, P.O. Basal, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of his name in the record of Gram Panchayat Dangri, as his name has entered in Gram Panchayat Dangri record as Manoj Sharma, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of above Vikas Sharma in the record of Gram Panchayat Dangri in writing to this office. The objections should reach this office on or before 5-10-2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct his name in the concerned office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Bimla Devi w/o Shri Rajeev Kumar, r/o Village Bagi, P.O. Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General public . . *Respondent.*

Whereas applicant Smt. Bimla Devi w/o Shri Rajeev Kumar, r/o Village Bagi, P.O. Jagjit Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of her name in the record of Gram Panchayat Jagjit Nagar, as her name has entered in Gram Panchayat Jagjit Nagar record as Pooja, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of above Bimla Devi in the record of Gram Panchayat Jagjit Nagar in writing to this office. The objections should reach this office on or before 5-10-2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct her name in the concerned office.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Deep Ram *alias* Kuldeep Chand s/o Shri Anokhi Ram, r/o Village & P.O. Barog, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General public . . *Respondent.*

Whereas applicant Shri Deep Ram s/o Shri Anokhi Ram, r/o Village & P.O. Barog, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of his name in School record of master Sachin Kumar studing in 8th class and Miss Simran Thakur studing in 10th class, Govt. High School Chew, as his name has entered in School record of his above children as Kuldeep Kumar, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of above Shri Deep Ram in the School record of his above children in writing to this office. The objections should reach this office on or before 5-10-2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct his name in the concerned office.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित